सामाजिक कार्य करें बिल्डर्स

एसआरए के अंतर्गत झोपड़पट्टी पुनर्वास प्रोजेक्ट्स के निर्माण हों

संवाददाता

पुणे. कंस्ट्रक्शन व्यवसायी सामाजिक जिम्मेदारी भी उठाएं. सभी बिल्डर शहर की एक-एक झोपड़पट्टी का एसआरए के अंतर्गत पुनर्वास करें. यह अपील नगर रचना विभाग के प्रधान सचिव डॉ. नितिन करीर ने की. दांडेकर पुल परिसर में नाईकनवरे डेवलपर्स के झोपड़पट्टी पुनर्वास प्रोजेक्ट 'परिवर्तन का उद्घाटन तथा लाभार्थियों को फ्लैट्स का वितरण डॉ. करीर के हाथों किया गया.

इस समारोह में नाईकनवरे डेवलपर्स के डायरेक्टर हेमंत व रणजीत नाईकनवरे, मनपा आयुक्त सौरभ राव, क्रेडाई नेशनल के अध्यक्ष सतीश मगर, क्रेडाई महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष श्रीकांत परांजपे, सिटी इंजीनियर प्रशांत वाघमारे, म्हाडा के सीईओ अशोक पटिल, मनपा में सभागृह नेता श्रीनाथ भिमाले, 'मशाल' संस्था के अध्यक्ष शरद महाजन, नगरसेवक धीरज काटे, स्मिता वस्ते एवं सरस्वती शेंडगे आदि उपस्थित थे.

डॉ. नितिन करीर ने कहा, 'पुणे एवं पिंपरी-चिंचवड़ में करीब 40% आबादी झोपडपट्टियों में रहती है. पूरी दुनिया में झोपड़पट्टियों का पुनर्वास शहर से बाहर व काफी दूर किया जाता है. सिर्फ हमारे देश में झोपडपट्टियों के स्थान पर ही उनका रिहैबिलिटेशन किया जाता है. रिहैबिलिटेशन के साथ उन्हें बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना व जीवन स्तर में वृद्धि भी जरूरी है.

40%

आबादी झोपड़पट्टियों में रहती है

कंस्ट्रक्शन व्यवसायी जिम्मेदारी उठाएं तो होगी समस्या हल

■ झोपड़पट्टियों के निवासी शहर की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. उनका विकास हो तो ही शहर में सामाजिक स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है. यह जिम्मेदारी सभी कंस्ट्रक्शन व्यवसायी उठाएं. यहां मुनाफा बहुत कम है, मगर यह कार्य जरूरी है. यदि चार-चार कंस्ट्रक्शन व्यवसायी मिलकर एक-एक झोपड़पट्टी की जिम्मेदारी भी उठाएं तो यह समस्या हल की जा सकती है.'

■ झोपड़पट्टी पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) की कार्यशैली पर चिंता व्यक्त करते हुए डॉ. करीर ने कहा, 'एसआरए की स्थापना 14 साल पहले की गई थी. तब क्रेडाई ने सामाजिक संस्था 'मशाल' के सहयोग से शहर की झोपडपट्टियों का सर्वेक्षण किया व रिपोर्ट की पुस्तिका छापी गई. यह जानकारी सभी झोपड़पट्टियों के पात्र व अपात्र झोपड़ीधारकों तक पहुंचाना जरूरी था.

एसआरए को कंस्ट्रक्शन व्यवसायियों एवं झोपड़ीधारकों के बीच मध्यस्थ की भूमिका अदा करनी थी. यदि ऐसा किया जाता तो योजना के कार्य तेजी से किए जा सकते थे. मेट्रो स्टेशन परिसर में 500 मीटर क्षेत्र में 4 एफएसआई डॉ. करीर ने कहा, 'मेट्रो रूट के लिए जगह के हस्तांतरण व काम तेजी से करने हेतु राज्य सरकार ने ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी को मंजूरी दी है.

शीघ्र ही अध्यादेश जारी होगा

■ पुणे में मेट्रो स्टेशन परिसर में पांच सौ मीटर क्षेत्र में 4 एफएसआई एवं टीडीआर दिया जाएगा. इससे निर्मित होने वाला प्रीमियम मेट्रो एवं पुणे मनपा को प्राप्त होगा. इसके विषय में निर्णय लिया जा चुका है. शीघ्र ही अध्यादेश जारी किया जाएगा.'